प्र.सं. 62/20 श्रीमती मनोहरबाई व अन्य बनाम नारायणलाल व अन्य 2020/00133

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.2021	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पक्षकारान की ओर से आदेश 23 नियम 3 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी समझौता हो जाने से वह आगे अपील नहीं चलाना चाहते हैं। राजीनामे अनुसार अपीलान्टगण यह स्वीकार करते हैं कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम झरणों की सराय की आराजी नंबर 343 से 346 कुल किता 4 रकबा 0.6250 हैक्टर में अपीलान्टगण का कोई अधिकार व आधिपत्य नहीं है। उक्त आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 के खातेदारी अधिकार की होकर उनका कब्जा है, जिनके द्वारा उक्त सम्पूर्ण आराजियात का रजिस्टर्ड विक्रय प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 व 19 के पक्ष में कर दिया गया है एवं अब क्रेतागण खातेदार होकर काबिज हैं। अपीलान्टगण उक्त विक्रय पत्र से सहमत हैं एवं भविष्य में किसी प्रकार का कोई एतराज अथवा वाद–विवाद नहीं करेंगे। इस हेतु हम अपीलान्टगण ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 व 19 से 15,00,000/– अक्षरे पद्रह लाख रूपये जरिये चेक प्राप्त कर लिये हैं, अब किसी प्रकार का लेन–देन शेष नहीं है। पक्षकारान के मध्य समझौता हो जाने से पक्षकारान निम्नानुसार डिक्री पारित करवाना चाहते हैं :– ''कि अपीलान्ट्स का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 रा.का.अ. निरस्त कर खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 18, 19 के हक में हुए दोनों विक्रय पत्रों को पूर्णतया सही एवं वैध दस्तावेज घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर जो नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया है उसे भी सही पाया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना करेंगे।'' हमने उक्त राजीनामा प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त राजीनामा प्रार्थना पत्र पर पक्षकारान एवं उनके अधिवक्तागण के हस्ताक्षर हैं। अतः न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. का स्वीकार किया जाता जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.2020 को यथावत रखते हुए मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र दिनांक 03.08.2021 अनुसार डिक्री जारी की जाती है। प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.08.2021 निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by M. L. Chouhan Date: 2021.09.14 12:31:12 IST Reason: SelfAttested (एम.एल. चौहान) प्रभारी अधिकारी सहायक राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	